हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 3
Date 6 July 2025

बगैर बिल के हर माह दो सौ ट्रक शराब की हो रही थी बिक्री, 2000 करोड़ का घोटाला

28 आबकारी अफसरों के खिलाफ 2100 पन्नों का चालान, जज छुट्टी पर, अब सोमवार को होगा पेश

विधि विभाग से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ईओडब्लू तथा एसीबी के अफसर शनिवार को ईओडब्लू, एसीबी के विशेष कोर्ट में 21 सौ पन्नों का चालान पेश करने पहुंचे। न्यायाधीश के अवकाश में होने की वजह से आबकारी अफसरों के खिलाफ अब सोमवार को कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। आबकारी घोटाले में ईओडब्लू कोर्ट में यह पांचवां चालान पेश होगा।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

उल्लेखनीय है कि जिन 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विधि विभाग ने अभियोजन स्वीकृति की अनुमति दी है उन पर डुप्लीकेट या बगैर बिल के शराब को खपाने का आरोप है। शराब घोटाला दो पार्ट में किया जाता था। पार्ट ए में जहां प्रति पेटी सौ रुपए कमीशन मिलता था, वहीं पार्ट बी में कमीशन की राशि 560 से 600 रुपए तक थी। सिंडिकेट पार्ट बी में बगैर बिल के शराब खपाने का काम किया जाता था। इस सिंडीकेट में आबकारी अफसरों की संलिप्तता पाई गई।

अनवर ढेबर और अरुणपति अफसरों पर बनाता था दबाव

ईओडब्लू के चालान में उल्लेख किया गया है कि शराब घोटाले का किंग पिन अनवर ढेबर हर माह शराब बिक्री का टार्गेट तय करता था। अरुण पति त्रिपाठी को अनवर ढेबर हर माह शराब बिक्री करने का लक्ष्य देता था। उसी लक्ष्य को पूरा करने अरुण पति आबकारी अफसरों पर दबाव बनाता था। ▶▶ शेष पेज 5 पर

इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति

गरीबपाल दर्द्द, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मंडावी, राजेश जयसवाल, जीएस नुरुटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंगा, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनीक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर के नाम शामिल है।

शराब की काली कमाई कलेक्शन करने अलग एजेंसी

शराब की काली कमाई कलेक्शन करने अलग से एजेंसी बनाई गई थी। पार्ट ए की कमाई कलेक्शन करने का काम सुमित कंसलटंसी करती थी। पार्ट बी की कमाई कलेक्शन करने अलर्ट कमांडो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अलग कंपनी बनाई गई थी। उक्त कंपनी ईगल हंटर सात्यूशन की सहयोगी कंपनी थी।

लालच बढ़ता गया

वर्ष 2019 से 2022 के बीच पार्ट बी की शराब आपूर्ति करने का टारगेट दो सौ पेटी तय की गई थी, वर्ष 2023 में टारगेट दो गुना कर चार सौ ट्रक तय की गई। इस तरह से वर्ष 2023 में सबधित शराब दुकानों में सर्वाधिक मात्रा में देशी शराब की अवैध खेप पहुंचाने का काम किया गया।

तीन साल में 60 लाख 50 हजार पेटी शराब खपाई

कोर्ट में पेश किए गए चालान के अनुसार शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने घोटाला करने वर्ष 2019 से 2023 के बीच रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कबीरधाम बालोद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, ▶▶ शेष पेज 5 पर